MR. CHAIRMAN: Is it the sense of the House that after the Half-an-Hour discussion we will continue this debate?

SHRI K. MAYATHEVAR: Yes, the half-an-hour discussion should be over in half-an-hour.

MR. CHAIRMAN: Yes, Mr. B.V. Desai, please try to be brief, and Mr. Parashar will continue after that.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: Not today, Tomorrow.

MR. CHAIRMAN: Is it the sense of the House that we will continue today?

SHRI R.P. YADAV: Nobody knows how much time the Half-an-Hour discussion will take.

MR. CHAIRMAN: We propose to conclude it in half-an-hour. Yes, Mr. B.V. Desai.

17.32 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION Bank Frauds

SHRI B.V. DESAI (Raichur): This Halfan-Hour discussion is with regard to Unstarred Question No. 1148 which was answered on the 29th July, 1983. It is in regard to bank frauds which are on the increase in our country. I can give some figures, which may of course be available with the hon. Minister. In 1980-81 the frauds were of the order of 1,584 involving a sum of Rs. 48.50 crores: in 1981-82 they were about 3,189 involving an amount of Rs. 20.34 crores; and in 1982-83 there were 2,015 cases involving an amount of Rs. 19.45 crores. Of course. these figures are subject to correction, if they are not correct. But one trend is very clear: That the frauds are on the increase. and the amounts are also on the increase. And there are some other cases also available with the Minister which he had mentioned during the course of the reply he had given to the question that the total amount defrauded was about Rs. 7.30 crores,

involving ten banking institutions. I do not know the Nationalised Banks are also getting involved in this, and why the cases are not being detected. Obviously, if the cases are detected in time, this amount of Rs. 7.30 crores could have been saved. Banking officials at the highest level must have been involved in this. That is our surmise. If this kind of defalcations take place the public will naturally lose their confidence in banking institutions and those institutions will collapse.

In this connection, I would like to put some questions, which the hon. Minister may please reply.

In the light of the replies given by him earlier, what action has been taken so far? He had mentioned about exernal audit and that vigilance machinery had been strengthened, and that some other steps have been taken.

Such frauds and defalcations take place by transfer of accounts, drafts, benami accounts and all these things, from one branch to another. Therefore, what I find is that our banks are a little bit shy about computerising the accounts. I think, computerisation will be a right step in that direction. Secondly, so many branches of the nationalised banks go without external audit for years. External auditing is one of the steps that will strengthen the hands of the bank officials to detect at the early stage the frauds and defalcations. It is high time that we should feel the need of a systematic evaluation of the existing banking system so as to plug the loopholes and avoid this type of frauds and defalcations. I do not know. whether the Government is thinking on those lines. With these things, I would like to ask some pertinent questions:

- 1. What is the amount involved in all the bank robberies, defalcations, etc. during 1980-81, 81-82 and 82-83?
- 2. What is the amount of bad debts which has been written off yearwise and its percentage to the profits, because the balance-sheets as we see in the papers, do not reflect the true picture of the transactions?

4. How many cases have been referred to the Special Cell appointed by the RBI and what is its progress?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHANA POOJARY): I fully share the concern expressed by the hon. Member. As you know, we have already replied a number of Starred and Unstarred questions. There was a calling attention also in Rajya Sabha. To that we had given a very detailed reply about the measures that have been taken by the RBI and the Government of India.

So far as the figures mentioned by the hon. Member are concerned, they are correct. In the year 1982 there were 2065 frauds involving an amount of Rs. 19.44 crores. In the year 1981 there were 1891 frauds amounting to Rs. 20.34 crores. In the year 1980 there were 1594 frauds involving an amount of Rs. 8.40 crores. In the year 1981 action has been taken against 450 employees of the banks. In the year 1982 action has been taken against 608 employees. 166 people were dismissed and some of them were discharged from the service of the banks for the frauds committed in the years 1978, 79 and 80. Apart from these steps, we have set up a cell in the Reserve Bank, which is going into the cases of fraud, the monitoring the implementation of steps for detection of frauds and the action being taken thereof. The procedure is that, whenever a fraud is reported in a bank, first it makes an internal enquiry; some cases are reported to the police and serious cases to the CBI. On the basis of the finding of the bank concerned, the police and the CBI, we take action. In some cases, we have taken deterrent action.

The hon. Member has given a suggestion for computerisation and mechanisation. There is a lot of resistance from the employees' unions. We have tried to convince the bank employees that there will not be any retrenchment, on the contrary the

Association approached the unions and convinced them that both mechanisation and computerisation are essential if the image of the institution has to be enhanced.

The hon. Member has asked for information regarding the number of frauds that have been detected during the period January to June 1983. We can supply the figures for the period January to March. But it will take some time to get the figures for the period April to June, because these figures have to come from the various branches to the regional offices, then to the Head Office of the bank and then to the Reserve Bank, which will prepare the statistics. The hon. Member is correct in saying that computerisation and mechanisation are the only answer for improving the efficiency and the information can be obtained much quicker.

Regarding the steps taken to prevent frauds, I have paid surprise visits to the banks to look into their affairs. The Chief Executives of Banks have also been asked to pay surprise visits to the various branches. Inter-bank reconciliation has been identified as a vital factor for checking frauds. During my surprise visits I found that in some branches it has not been done since 1973. It was brought to the notice of the Finance Minister, who called a meeting of the Chief Executives and exhorted them to take prompt action in that respect.

The hon. Member wanted to know the number of cases registered with CBI. From 1980 to 15th March 1983 we have been able to register 746 cases with CBI, where action is being taken.

The hon. Member made out a case to show that the number of frauds is on the increase. We have improved the inspection system and we are doing cross-checking. We are taking deterrent action against the culprits. In order to enable us to take action, we have toned up the administration. Because of the improvement in supervision and inspection, we have been able to detect more number of cases of fraud during 1982. All the necessary preventive and remedial measures are being taken and deterrent action is being taken against those found guilty.

407

श्री रामावतार ज्ञास्त्री (पटना): सभापति जी, अभी हम लोग बैंकों में हो रही धोखाधड़ी के बारे में विचार कर रहे हैं, हो सकता है आगे चल कर सरकार की धोखाधड़ी के बारे में भी विचार करना पड़े।

सभापति जी, इन्होंने धोखाधड़ी को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है या करने वाले हैं, उस की वर्चा देसाई जी के प्रश्न के जवाब में उन्होंने की है। बहुत सारे मे जर्ज, प्यूनिटिव और प्रीवेन्टिव, डिपार्टमेन्टल एन्क्वायरी और विजिलेंस वगैरह, कन्ट्रोल-मकैनिज्म की बातें इन्होंने बतलाई है। लेकिन इन्होंने यह भी कहा है कि इन सब मेजर्ज के बावजूद धोखाधड़ी बढ़ती जा रही है। मालूम नहीं इन मकैनिज्म का ठीक से प्रयोग हो रहा है या नहीं। अगर प्रयोग होता तो मेरे ख्याल से धोखाधड़ी में कमी आती, लेकिन धोखाधड़ी में कमी नहीं हो रही है, बल्कि बढ़ोत्तरी हो रही है। इन्होंने 1983 की अब तक की फिगर्स नहीं दी है, इससे भी हम अन्दाज लगाते हैं कि 1981, 1982 के मुकावले इस वर्ष ज्यादा ही होंगी। अब तक क्या स्थिति है अगर वे बतला सकते हैं तो बतलाने की कृपा करें।

दूसरी बात—इन्होंने सरपट कर्मचारियों की चर्चा कर दी और कहा कि कर्मचारी धोखाधड़ी में लिप्त हैं। बैंक में अफसर भी काम करते हैं, क्लर्क वगैरह कितने लिप्त होंगे, आप मुझे बत-लाइये उनमें आफिसर्ज कितने पकड़े गये हैं ? अफसरों से मेरा मतलब आप समझ गये होंगे तथा आम कर्मचारी कितने पकड़े गये हैं, इनके अलाबा भी धोखाधड़ी करने वाले होते हैं, उनकी संख्या क्या है? इससे देश जान जायेगा कि बैंकों में धोखाधड़ी करके पैसा ले जाने वाले कौन लोग हैं। इन तीनों के बारे में अलग-अलग बतला सकें तो ज्यादा खुल।सा होगा।

आपने कम्प्यूटराइजेशन का उल्लेख किया है और कहा है कि इससे बहुत सुधार होगा। मैं जानना चाहुता हूं — इसके बारे में बैंक-एम्पलाइज का रिएक्शन क्या है ? बैंक एम्पलाइज के आर्गे-निजेशनज हैं— वे इसके बारे में क्या कहते हैं ? उनके मन में एक सन्देह है और हम लोगों के मन में भी वही सन्देह है—आप कहते हैं कम्प्यूटराइजे-शन के बाद कोई कर्मचारी काम से निकाला नहीं जायगा, लेकिन क्या यह सत्य नहीं है कि कम्प्यूट-राइजेशन के बाद नये कर्मचारियों की भरती विलकुल बन्द हो जाएगी ?

श्री बी॰ वी॰ देसाई: यह बिलकुल गलत है।

श्री रामावतार शास्त्री: मैं उनसे पूछ र हा हूं। आप जब मंत्री बनेगे तब जवाब दीजियेगा, अभी वह सौभाग्य आपको नहीं मिला है। आगे रीशफलिंग में आपको वह सौभाग्य मिल जाएगा।

श्री बी॰ वी॰ देसाई: आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं।

श्री राम प्यारे पनिकाः जिस पर आप कृपा करेंगे वह नहीं बन सकता।

श्री रामावतार शास्त्री: तब तो इनकी गुड़ी भी कट गई।

में जानना चाहता हूं कि कम्प्यूटराइजेशन का एम्प्लायमेन्ट पर क्या असर पड़ेगा? यदि असर पड़ेगा तो क्या जिस देश में दो करोड़ से ज्यादा लोगों के नाम बेकारों के रजिस्टरों में दर्ज हैं, उस स्थित में क्या इस तरह का कोर्स एडाप्ट करना— किसी-किसी जगह एडाप्ट कर लें वह अलग बात है—लेकिन यहां सरपट एडाप्ट करना उचित होगा, हमारे विराट वेकारों की संख्या को देखते हुए?

श्री राम विलास पासवान: सभापति महो-दय, मैं बिलकुल ही नई बात की तरफ सरकार का ध्यान खींचना चाहूंगा।

आज से तीन-चार दिन पहले 11 अगस्त को

एक माननीय सदस्य : यह कौन सी रिपोर्ट है ?

श्री रामविलास पासवान : यह पब्लिक अन्ड रटेकिंग या पब्लिक एका उन्ट्स कमेटी में से किसी की रिपोर्ट है, यह पालियामेंट की कमेटी की रिपोर्ट है, जिसमें बहुत सारी बातें दी गई हैं और श्री एरा सेजिसन साहब ने इसमें जो रहस्योद्घाटन किया है, वह बहुत ही दर्दनाक है। इस कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार 28 सरकारी बैंकों में 1981 में 335 अरव रुपये जमा थे, जो सभी अनुसूचित बैंकों की 91 परसेन्ट थी। कमेटी ने चौंका देने वाला रहस्योदघाटन किया है कि सरकारी क्षेत्र में हिसाब रखने की जो सारी प्रक्रिया है, जवाब-देही है, उस सबको ताक पर रख दिया गया है और अनेक मदों का हिसाब नहीं रखा गया है। इतना ही नहीं कुछ बैकों को यह भी पता नहीं कि ऐसी कितनी राशि है, जिसवे लेनदेन का मिलान या समायोजन नहीं किया गया है। समिति ने यह भी बताया है कि एक राष्ट्रीयकृत बैंक में 48 लाख एन्ट्रीज ऐसी हैं, जिनका मिलान ही नहीं किया गया है, एक बैंक में 19 लाख एन्ट्रीज ऐसी हैं, जिनका मिलान बाकी था और 384 करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ है। यह पूरी की पूरी कमेटी की रिपोर्ट मेरे पास है और इसमें आप देखेंगे कि बैंक संख्या 3 में बकाया राशियों की प्रविष्टियां नहीं की गई है, वे उपलब्ध नहीं हैं। सन् 1981 की इसी तरह से बैंक संख्या 16, बैंक संख्या 17, बैंक संख्या 23, बैंक संख्या 25, 26 और 27 की प्रविष्टिया उपलब्ध नहीं हैं। कमेटी ने कहा है कि जहां इतनी बड़ी धनराणि और जनता के खून-पसीमे के कमाई जमा हो, वहां किसी चीज का पता नहीं है कि इतने बड़े पैमाने पर ऊपर से बंग-लिंग हो रहा है। जो लेखा परीक्षा, आडिट होता

है, वह नहीं किया जाता है। तो मैं मंत्री जी से इतना ही कहना चाहूंगा, वे बहुत ज्यादा काम करते हैं और मुझे खुशी है कि वे काफी लगन के साथ बैंकिंग डिपार्टमेंट का काम देख रहे हैं और फाइनेन्स मिमिस्ट्री के काम को सुधारने का काम भी कर रहे हैं, कि वे इस कमेटी के थ्रा जाएं और रिपोर्ट को पढ़ें। · · · (व्यवधान) · · · जितने डिप्टी मिनिस्टर हैं, अगर आप इस बात का अध्ययन करेंगे तो पायेंगे कि उन सबमें वे बहुत एफीशियेंट हैं। मैं इस बात को मानकर चलता हूं। मैं एक चीज और मंत्री जी से कहना चाहता हूं जोकि इस रिपोर्ट में है। इसमें कहा गया है कि आश्चयं की बात यह है कि अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए रिजर्व बैंक ने ये मार्गदर्शी सिद्धांत जारी कर रखा है कि 50 करोड़ रुपये वाले बैंकों में अगर हर साल लेखा परीक्षा न कराई जा सके तो तीन साल में कम से कम एक बार लेखा परीक्षा जरूर कराई जानी चाहिए। लेकिन स्टेट बैंक को इस विषय में निर्देश नहीं दिए गए हैं। वास्तव में सभी बैंकों की सभी शाखाओं की नियमित लेखा परीक्षा बारीकी से होनी चाहिए । मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पार्लियामेंट की कमेटी भी है और पालियामेंट की जो पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी है, वह जिस तरीके से सारी चीजों में जाकर सारी बातों को देखती है, क्या उसी तरह का अधिकार कमेटी को न दिया जाए कि बैंकिंग डिपार्टमेंट में जो यह गड़बड़ चल रही है और घपलेबाजी चल रही है, यदि इस तरह का कोई नियम नहीं है, तो क्या सरकार इस बात को नहीं सोच सकती कि जो सबसे बड़ी कमेटी होती है, पावरफुल कमेटीज जैसे पब्लिक अण्डरटेकिंग्स कमेटी है या पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी हैं, उनको इजाजत दे कि वे बैंकों में जो सरकारी सम्पत्ति लगी हुई है, लोगों के खून-पसीने की कमाई हुई सम्पत्ति लगी हुई है, उसकी जांच करने का काम वह करे और कितना पैसा बड़े परिवारों में जाता है और कितना पैसा गरी बों के हाथ लगता है और कितने पैसे की बंगलिंग होती है, इन सब चीजों को देखे। बस मुझे यही कहना है।

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस): माननीय सभापति जी, बैंक वह जगह है जहां पर लोग अपना धन और कीमती चीजें रखना सुरक्षित सम-झते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसा देखने में आ रहा है कि बैंकों में रुपया जमा करना किसी भी तरह से स्रक्षित नहीं रह गया है। आए दिन हम सुनते और पढ़ते हैं कि अमुक बैंक में डाका पड़ गया, कहीं फर्जी चैकों से रुपया निकाल लिया गया, कहीं गबन कर लिया गया। इस तरह की घटनाएं आम हो गई हैं। अफसोस इस बात का है कि ये घटनायें — गांवों या कस्बों में नहीं बल्कि कलकत्ता, बम्बई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में हो रही हैं और बड़े पैमाने पर होती हैं। यह बात मैं नहीं कह रहा बल्कि माननीय उपमंत्री श्री पुजारी जी यहां पर उपस्थित हैं। उन्होंने 11 अगस्त को राज्यसभा में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में कहा था कि ''बैंकों में घोटाले, जालसाजी, धोखा-धडी तथा बढ़ती हुई डकैतियों के मामलों को देखते हए सरकार ने ब्लाक स्तर पर एक सलाहकार समिति गठित करने का निर्णय किया है।" मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इस सलाहकार समितियों का क्या तात्पर्य है। सलाहकार समितियों के पास क्या अधिकार होंगे और इनमें कौन-कौन लोग रखे जायेंगे। मैं अपनी बात को ज्यादा बड़ा न करते हुए माननीय मंत्री जी से केवल यह जानना चाहता हुं कि ब्लाक स्तर पर जो सलाहकार समितियों के गठन का ऐलान राज्यसभा में किया गया है, इनका गठन कब तक हो जायेगा। इनमें सभी सरकारी या कुछ गैरसरकारी लोग भी होंगे? इनके पास क्या पावर्स होंगे।

क्या सरकार हर बैंक के दरवाजे पर मैटल डिटेक्टर लगाने के लिए कार्यवाही करने जा रही है। माननीय मंत्री जी ने घोखाधड़ी के आंकड़े दिए हैं। 1981 के मामलों में बताया गया है कि इतने मामलों में बैंक के अफसर और कर्मचारियों का हाथ है। उनके खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

बैंकों में जो सिक्यूरिटी गार्ड्स होते हैं, उनके

पदों पर फोजों से रिटायर लोगों को रखने के बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

अन्त में एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। क्या सरकार कंप्यूटराइंज सिस्टम करने का विचार रखती है? अगर रखती है तो इस सम्बन्ध में सरकार कब तक कार्यवाही करेगी।

ये मामले नितांत आवश्यक हैं और बैंकों की रक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा और चाहूंगा कि मंत्री महोदय इनका जवाब दें।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर): माननीय सभापित जी, बैंकों की धोखाधड़ी के मामलों पर यह आधे घंटे की चर्चा उठाई गई है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। आमतौर पर पिछले दो वर्षों से यह बात काफी खुलकर सामने आई है कि बैंकों में तमाम धोखाधड़ी की घटनाएं हो रही हैं। लोग बैंकों को धोखा देकर पैसा निकाल लेते हैं। इन बातों को सुनकर यह विश्वास करना मुश्किल होता है कि बैंकों से धोखाधड़ी करके बाहर के लोग पैसा निकाल लेते हैं और यह बिना किसी अधिकारी की सांठगांठ से हो सकता है। मेरा कहना यह है कि बैंक के अधिकारी काफी संख्या में इस धोखा- धड़ी में सिम्मलित हैं।

तमाम बैंकों में तरह तरह की अनियमिताएं चल रही हैं। अभी जिस समिति का उल्लेख राम विलास पासवान जी ने किया था वह समिति सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति है, उसने दूसरे सदन में यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। उसमें स्पष्ट रूप से उसने लिखा है पृष्ठ 26 पर:—

"समिति को यह नोट करते हुए बड़ा दुख है कि सरकारी क्षेत्र के लगभग सभी बैंकों से संबंधित लेखाओं की बहुत सी मदें कई वर्षों से बिना समा-

धान के अध्री, बिना जांच के तथा बकाया पड़ी हुई हैं। लेखाकरण के क्षेत्र में बैंक दर बैंक, प्रतिवे-दन दर प्रतिवेदन और वर्ष दर वर्ष कार्य की स्थिति को विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त किया गया. जैसे "काम बकाया", "समाधान किया जाना शेष है, "जांच तथा समायोजन के लिए लंबित", "कदम उठाए जा रहे हैं, "पूरा नहीं है", "समाधान हो जाने पर", "समायोजन होना", "बकाया पड़ी है", "शेष नहीं मिले", "पूराने तथा नये अन्तर" ''समाशोधन किया जाना है'', समाधान के लिए कदम उठाए जा रहे हैं", "खातों में शेष निकालने का काम तैयार'', ''विवरणियां अधूरी'', ''समा-धान तथा समायोजन किया जा रहा है", "खाता शेष मिलाए जा रहे हैं", "जनरल लेजर शेष सहा-यक खातों से नहीं मिलते।" सारांश यह है कि बकाया काम बहुत अधिक है तथा यह बढ़ता जा रहा है और बहुत से बैं को के लेखाओं में अनिय-मिततायें हैं। समिति को यह नोट करते हुए खेद है कि बहुत से बैंकों के मामले में बहुत सी मदों का पिछले कई वर्षों से समाशोधन किया जाना शेष है। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ बैंकों में लेखाओं की जिस लम्बी सूची के लेखा-परीक्षणों द्वारा जांच करने और उन्हें पारित करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, में बताया गया है कि लेखाओं का समा-धान नहीं हुआ है, समायोजन नहीं हुआ है, जांच नहीं हुई है या जो काम बकाया पड़ा हुआ है।"

18.02 hrs.

[SHRI N.K. SHEJWALKAR in the Chair]

इस प्रकार की चीजें इस रिपोर्ट में काफी विस्तार से दी हैं। मेरा तो अनुरोध होगा मंत्री महोदय से कि इस पूरी रिपोर्ट को पढ़ें। बैंकों के अन्दर हो रही धांधलियों के बारे में बहुत व्यापक रूप से इस समिति ने कहा है।

आज के नवभारत टाइम्स में एक लेख में कहा गया है:

"बम्बई के सौ-डेढ़ सौ सर्राफों द्वारा डिमांड

ड्राफ्टों में रोज करोड़ों राये की हेराफेंरी करने के धन्धे से भी साफ है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में काफी गड़बड़ी चल रही है।"

यह आज का नवभारत टाइम्स है। उसमें एक माननीय पत्रकार श्री नन्दिकशोर त्रिखा ने यह लिखा है।

ये सारी बातें जांच करने की हैं और दण्ड देने की हैं, उन लोगों को जो इन अपराधों में संलग्न हैं। बैंकों को जो आपने आटोनामी दी है उस आटोनामी का सदुपयोग नहीं हो रहा है, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। उस आटोनामी पर कुछ नियंत्रण लगाने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। जितने भी कारपोरेशंस बनाय जा रहे हैं या आटोनामस बाडीज बनाई जा रही हैं बैंक वगैरह, उनसे उम्मीद की जाती है कि अच्छा काम करेंगे लेकिन इन सारे संगठनों में लूट मची हुई है। तो मुख्य रूप से मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या बैंकों की आटोनामी को कुछ सीमित करने की दिशा में सरकार कदम उठाने जा रही है ताकि उन पर सरकार का भी कुछ सीधा नियंत्रण हो और इस प्रकार के फाड को रोकने में आप कूछ अधिक शक्ति का इस्तेमाल कर सकें।

मेरे जिले के अन्दर एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है जो स्टेट बैंक की शाखा है। वह धांधलियों का बहुत बड़ा अड्डा है। वहां पर नौकरी देने में लोगों से घूस ली जाती है, किसानों को पैसा चाहिए तो उनसे कमीशन लिया जाता है। इतनी बेईमानी की बात इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में है। गरीबों को ऋण देने में भी जैसा मैंने बताया उनसे कमीशन लिया जाता है। तो जहां बाहर के लोग बैंकों को चीट करते हैं वहीं बैंकों के अधिकारी भी इन सारी चीजों में लिप्त हैं। क्या माननीय मंत्री जी इन चीजों पर ध्यान देंगे और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को नियंत्रित करने की दिशा में कोई ठोस कदम उठायेंगे? SHRI JANARDHANA POOJARY: Mr. Chairman, Sir, the hon. Member Shri Shastri Ji raised a pertinent question. He stated that clerks and, particularly, officers have been indulging in these frauds; that we have been criticising clerks and also officers and he wanted the statistics.

We do not rule out the possibility of the collusion of the employees. We do not give a blanket reply that there is no collusion. There was collusion. Not only that. One clerk of Gandhi Nagar in Gujarat has defrauded the bank to the tune of about Rs. 3. 4 crores. One lady employee of the bank in Delhi has gone to the extent of defrauding the bank to the tune of about Rs. 1.50 lakhs. One officer of the Central Bank of India, after his retirement, has gone to the extent of defrauding 10 banks including 4 foreign and 6 nationalised banks to the tune of about Rs. 7.30 crores. We can say that the involvement of the bank employees is there. It cannot be said that only clerks are involved in the bank fraud and the officers are not. They are also involved. The Hon. Member has asked how many frauds have been committed by the clerks and officers put together. That figure is not readily available. If the Hon. Member gives notice of this question, I can supply the information.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: He will give notice of the question.

SHRI JANARDHANA POOJARY: An Hon. Member from this side has asked for some particulars about the setting up of the Advisory Committees at Block level. I have replied this question in detail to one of the Starred Questions. I also answered this question in the Rajya Sabha. These Advisory Committees have been set up at Block level to implement the IRDI and also to find out if there are any malpractices in respect of the implementation.

SHRI RAM PYARE PANIKA: Who are the members of that Advisory Committee?

SHRI JANARDHANA POOJARY: If there is any malpractice, this Advisory Committee will go into that. The Panchayat President will be one of the Members. The local MLA will be another Member. Three non-officials will be there as Members from the Block.

AN HON. MEMBER: What about Members of Parliament to be represented on that Committee?

SHRI JANARDHANA POOJARY: It has been brought to the notice of the Government that Members of Parliament do not want to be the Members of the Advisory Committee at the block level and that is why the local MLA is involved. But, MPs do not get involved in these things and that is why they are not included.

PROF. P.J. KURIEN (Mavelikara): It is not possible to go to Blocks. That is the problem.

SHRI JANARDHANA POOJARY: At district level, there will be some sub-group to go into the grievances of the district. These will go through the implementation of the 20-Point Programme. They also go through some of the malpractices which come to their notice in the districts. There will be 2 or 3 non-official members on the sub-group.

SHRI HARIKESH BAHADUR: You can appoint the nominees of the MPs as Members of the Advisory Committees.

SHRI JANARDHANA POOJARY: So far as the metal detector and posting of guards at the bank doors referred to by an Hon. Member from this side is concerned, I have to say that it is a security measure. I do not want to expand the scope of this Half-an-Hour Discussion. We have to confine ourselves to the question of fraud only. This relates to the security aspect.

So far as the Committee's report that has been laid on the Table of Rajya Sabha by its Chairman, Shri Era Sezhiyan, is concerned, I have also gone through the report. That is in respect of non-reconciliation of accounts. And what the hon. Member has stated is correct. In this respect even earlier also the hon. Members have spoken, and the press also has reported. I have gone through

the press clippings. Before taking charge of this Ministry, I had gone through the press clippings and also the debates, the speeches of the hon. Members from both sides. That is why, I paid surprise visits personally, and in the course of my personal surprise visits, I have found out that in some of the banks reconciliation of accounts, particularly the inter-bank reconciliation of accounts, has been pending since 1973; as for the pending work in respect of Savings Bank and Current Account is concerned, it has been pending since 1979 in some branches and since 1980 in some other branches. That is why, we called a meeting of the Chief Executives and immediately brought it to the notice of the Chief Executives, and remedial measures have also been taken. I have gone through the report. I will also in detail go through the report of the Sezhiyan Committee. What has been stated is correct, and the concern expressed by the hon. Members is also correct. We will take suitable action so far as this is concerned.

As regards the others suggestions that have been made like appointment of a Parliamentary Committee to go into the details, these are being noted. Already there is a provision for statutory.....

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: Will computerisation affect employment or not?

SHRIJANARDHANA POOJARY: So far as computerisation is concerned, I may submit one fact. Before nationalisation, there were about 8,262 branches throughout the country, and now we have got 40,820 branches throughout the country, and more than six lakhs of employees are working. You can see the voluminous transactions that are taking place every year in the banking sector. Over 90 per cent of the banking sector has been brought under the hold of the public sector. I can say from experience that computerisation and mechanization is the only answer. You have been seeing that we are giving the figures of 1981. When you are asking for so many figures, we are in a position to give only the figures of 1981 or sometimes even 1980. If this is the efficiency of the banking sector, if we are going to give you only the figures of 1981, then how can we bring about improvement

in efficiency? Hon. Members from the other side should realise the importance of computerisation. So far as retrenchment is concerned, there will not be any retrenchment. As per the branch expansion policy of the Reserve Bank-which has been given to the nation in the year 1982—additional 10,000 branches will be opened throughout the country by March, 1985. There will be recruitment of officers and also clerks. I can assure the hon. Members that recruitment will not be less than about 10,000 per year; there will not be any stoppage so far as recruitment of clerks and other people is concerned. On the contrary, if we go in for computerisation, if we go in for mechanization, there will be more efficiency. If elderly and highly respected hon. Members like Shri Ramavatar Shastri impress upon the Union people to go in for computerisation, it will be easy, and we can enhance the image of the institution also. There have been criticisms in Parliament and also outside Parliament about the inefficiency of the banking sector, and if at all you are really serious about efficiency in the banking sector, it is better that we go in for computerisation. That is why, I request you once again to impress upon the employees about computerisation. Even at the cost of repetition, I am saying this.

So far as the frauds are concerned, Government is very much keen to curb the activities which are not above board.

On the contrary, Government is going to deal with the persons who are the culprits according to the law.

18.15 hrs.

SUPPLEMENTARY DEMAND FOR GRANT (RAILWAYS), 1983-84-Contd.

MR. CHAIRMAN: No we take up further discussion on Supplementary Démand for Grant (Railways).

Shri Parashar. You may continue.

PROF. NARAIN CHAND PARASHAR (Hamirpur): Mr. Chairman, Sir, I was